प्रेषक:

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सन शाईन पब्लिक स्कूल,
नवीननगर, सहारनपुर ।

पत्रांक सं0 शि0स0/ 1695 -96 /2000-01 दिनांक 17 2/2020

विषय- विद्यालय का नाम परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक मा0/12/2000-01 दि0 12 जुलाई 2000 द्वारा विद्यालय नाम परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया है । उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आपके विद्यालय का नाम आप द्वारा आवेदन के आधार पर खालसा पब्लिक स्कूल, नवीन नगर कर दिया है । भविष्य में उक्त विद्यालय को इसी नाम से जाना जाए । सूचनार्थ प्रेषित ।

भवदीय,

(एन0एस0राणा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर ।

पृ0सं0 शि0स0/ / 2000-01 दि0 तदैव

प्रतिलिपि- नगर शिक्षा अधिकारी, नगरक्षेत्र सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर ।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर

आदेश सं0 शि0अ0(1) 4662/111(82-83 दिनांक जनवरी 11-1-1983

विद्यालय नाम परिवर्तन

शिशु सदन प्राइमरी स्कूल, नवीन नगर, सहारनपुर का नाम विद्यालय प्रबन्धक से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर "सन शाईन पब्लिक स्कूल" नवीन नगर, सहारनपुर किये जानें की अनुमति प्रदान की जाती है।

(सत्य प्रकाश तायल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर

पृष्ठांकन सं0 शि0अ0(1) /1-1-(82-83 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक, सन शाईन पब्लिक स्कूल, नवीन नगर, सहारनपुर को उनके पत्र दिनांक 23-12-82 के सन्दर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सत्य प्रकाश तायल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

11/1/83

शिशु सदन प्रा० पा० नवीन नगर, (...)

पत्रांक : शि०स०प्र० ।/ 2032-38 /82-83 दिनांक अगस्त 26, 1982

विषय : विद्यालय को स्थायी मान्यता हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि आप के विद्यालय को प्राइमरी स्तर पर (कक्षा 1 से 5 तक) स्थायी मान्यता जिला मान्यता समिति के निर्णय, ~~केन्द्र~~ दिनांक 21-8-82 के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :—

1– किसी भी छात्र / छात्रा से 15/5 रुपये प्रति माह अधिक न लिया जाये ।

2– पुस्तकालय / क्रीड़ास्थल, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री में और वृद्धि की जाये /

3– विद्यालय की सम्पत्ति निधियों के लेखे उचित रूप से रखे जायें और डाकघर अथवा अनुसूचित बैंक में धनराशि जमा की जाये ।

4– विद्यालय में विभाग द्वारा स्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग किया जाये ।

5– विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को वही वेतनमान तथा महँगाई भत्ता आदि भुगतान करना होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापकों / कर्मचारियों को दिया जाता है । वेतन का भुगतान चैक द्वारा किया जाये ।

6– प्रबन्ध समिति द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध किये जायें तथा विद्यालय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जाये । विभाग द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान न की जायेगी

7– विद्यालय में बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक / अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये ।

8– प्रबन्ध समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत किये गये निर्देशों का पूर्णत: पालन करें ।

प्रबन्ध समिति उपर्युक्त निर्देशों को मानने के लिये पूर्ण रूप से बाध्य होगी/ विद्यालय में अनियमिततायें बरतने अथवा अन्य किसी कारण से विद्यालय की स्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार मान्यता समिति को सुरक्षित रहेगा /

भवदीय,

(signature)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

सहारनपुर

पृष्ठांकन सं० शि०स०प्र० ।/ /82-83 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर

2– उप विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर

3– शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र

जनपद सहारनपुर

Ravinder
Manager

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

सहारनपुर ।

जिला शैक्षिक विभाग अधिकारी,
सहारनपुर

प्रबन्धक,

पत्रांक : शि0का0 (32-38) 82-83 दिनांक अगस्त , 1982

विषय : विद्यालय, को स्थायी मान्यता हेतु ।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि आपके विद्यालय को ... स्तर पर (कक्षा 1 से 5 तक) स्थायी मान्यता दिया जाना ... दिनांक 21-8-82 के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों से प्रदान की जाती है :—

1– ... छात्र / छात्रा से 15/- रुपये प्रति माह अधिक न लिया जाये ।

2– पुस्तकालय / क्रीडास्थल, साज-सज्जा, ... सामग्री में और वृद्धि की जाये।

3– विद्यालय की ... निधियों के लेखे ... रखे जायें और ... अनुसूचित बैंक में ... जाये ।

4– विद्यालय में विभाग द्वारा स्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग किया जाये ।

5– विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को वही वेतनमान तथा मंहगाई भत्ता ... देना होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापकों / कर्मचारियों को ... है । वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जाये ।

6– प्रबन्ध समिति द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध किये जायें तथा ... की आर्थिक स्थिति सुदृढ की जाये । विभाग द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान न की जायेगी

7– विद्यालय में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित ... अध्यापक / अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये ।

8– प्रबन्ध समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह ... तथा ... प्रबन्धकों का तथा परिषद द्वारा ... निर्गत ... का ... पालन करें ।

प्रबन्ध समिति उपर्युक्त निर्देशों को मानने के लिये पूर्ण रूप से ... होगी/ ... में अनियमिततायें बरतनें अथवा अन्य किसी कारण से विद्यालय की स्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार मान्यता समिति को सुरक्षित रहेगा /

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर

पृष्ठांकन सं0 शि0का0 ( ) 82-83 दिनांक ...

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर

2– उप विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर

3– शिक्षा अधिकारी नगर ... जनपद सहारनपुर

प्रेषक :

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर ।

सेवा में

प्रबन्धक,
सन राइज पब्लिक स्कूल, नवीन नगर, सहारनपुर

पत्रांक : शि०स०/ 5485 /90-91 दिनांक मार्च 21, 1991

विषय : विद्यालय की जूनियर हाई स्कूल स्तरीय मान्यता के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक : शि०स०/ 629 /90-91 दिनांक
22-5-89 के अन्तर्गत आपके विद्यालय को जिला मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार
दिनांक 30-6-1990 तक की अस्थाई मान्यता स्वीकृत की गई थी । शासनादेश सं०
1784/15-6-90-1(एस)/89 दिनांक 24-7-90 के अन्तर्गत आपके विद्यालय की जूनियर
हाई स्कूल स्तरीय अस्थाई मान्यता की अवधि 2 जोलाई, 1990 तक बढाने तथा इन
विद्यालयों को शासनादेश सं० 937/15-6-90-1(एस)87/89 दिनांक 2-7-90 में निहित
निर्देशानुसार विद्यालय की मान्यता "ब" श्रेणी में रखे जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों
के साथ प्रदान की जाती है :-

1- विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक के लिये ही मान्यता प्रदान की गई है । अमान्य कक्षायें
कदापि न चलाई जायें ।

2- विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा
दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपभोग किया जायेगा ।

3- विद्यालय समिति के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण यथा समय कराया
जाये ।

4- छात्रों से शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप शुल्क लिया जायेगा तथा
विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जाये, जिसे डाकघर
या किसी अनुसूचित बैंक में जमा कर दिया जाये ।

5- प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी को वही वेतनमान, महंगाई भत्ता आदि देने का
उत्तरदायी होगा, जो परिषदीय समान अर्हता वाले अध्यापकों / कर्मचारियों को
दिया जाये ।

6- विद्यालय के निजी भूमि / भवन में निर्धारित आकार के कक्ष निर्मित कराये जायें
तथा शौचालय, खेलकूद एवं साज-सज्जा आदि की समुचित व्यवस्था की जाये ।

इस कार्यालय की
बिना पूर्व स्वीकृति के कोई नया सेक्शन नहीं खोला जायेगा और न ही बन्द जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा ।

7- विद्यालय के स्थाई अध्यापक पर शिक्षा संहिता की आठवीं परिशिष्ट में भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जाये ।

8- विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में होगा

9- किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धक या उसके कार्यों का प्रबन्ध करने अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम तथा इस नियमावली के तथा परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय समय पर जारी किये गये पूर्ण निर्देशों का पालन करेगा ।

भवदीय,

(सन्तोष चन्द्र शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर ।
20/3/91

पत्रांक .... (90-91) दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर ।

2- जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।

3- शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र ---------------

4- मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मंडल, मेरठ ।

(सन्तोष चन्द्र शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर ।